



F-07-08
F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु – 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU – 560 037

वर्ग अनुमोदन सं.: 877 का संशोधन सहित नवीकरण/
Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 877

विषय / Sub: कोरुगेटेड ब्रांच पाइप्स (ग्रीन)
Corrugated Branch Pipes (Green)

यह घोषित किया जाता है कि रबड़ काम्पाउंड एसईएनवी-500, से निर्मित मेसर्स सुजन इंडस्ट्रीज़, मुंबई- 400 093, द्वारा विकसित तथा उत्पादित "कोरुगेटेड ब्रांच पाइप्स" पार्ट्स संख्याएं i) के0257425, ii) के1655001, को संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-877, दिनांक 09 मई 2000, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 877 जारी किया गया है। तदुपरांत संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-877-3आर, दिनांक 18 दिसंबर 2012 द्वारा नवीकरण जारी किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2017 तक थी तथा संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-877-3आर/1संशोधन, दिनांक 18 दिसंबर 2012 द्वारा संशोधित किया।

This is to state that the "Corrugated Branch Pipes (Green)", bearing Part Nos.: i) K0257425 & ii) K1655001, made out of Rubber Compound SENV-500, developed and manufactured by M/s Sujan Industries, Mumbai – 400 093, has been issued with Type Approval No.: 877, vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-877, dated: 09th May 2000. This was subsequently renewed vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-877-3R, dated: 18th December 2012, with its validity up to 31st December 2017 and amended vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-877/3R/1Amd, dated: 29th February 2016.

2 यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 दिसंबर 2018 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 30 नवम्बर 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर सी एम ए (कोरापुट), सेमिलैक, डी आर डी ओ, द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सूनाबेड़ा – 763 002 से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that the Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st December 2018 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30th November 2023. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Koraput), CEMILAC, DRDO, C/o M/s Hindustan Aeronautics Limited, Koraput, Sunabeda – 763 002, Orissa three (03) months before the expiry of Type Approval with all relevant documents including user's performance feedback, quantity produced & rejection, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-877, दिनांक 09 मई 2000 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पांच (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference Number: CEMILAC/5070/TA-877, dated: 09th May 2000 is amended as stated herewith.

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र, (सेमिलैक), बेंगलूरु - 560037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency]”.

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं. / No.: सेमिलैक / CEMILAC/5070/टी.ए/TA-877 /1Amd/4R

दिनांक / Date : 06 December 2018

फैक्ससं. / Fax No.: 080 – 2523 0856





पी . जयपाल/ P. JAYAPAL
उत्कृष्ट वैज्ञानिक /Outstanding Scientist
मुख्य कार्यपालक(उडनयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)